सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 08, शुक्रवार, शाके 1944-सितम्बर 30, 2022 *Asvina 08, Friday , Saka 1944- September 30, 2022*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 30, 2022

संख्या प.2(26)विधि/2/2022.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 11)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को प्राप्त हुई)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के ऐसे किसी उपबंध में किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 16 में,-

(i) उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान खण्ड (ख) एवं इसके स्पष्टीकरण के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ग) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(खक) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को धारा 38 के अधीन संसूचित उक्त प्रदाय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित न कर दिये जायें;"; और

(ख) खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति **"**या धारा 43क**"** को हटाया जायेगा; और

(ii) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 29 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) में,-

(i) खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन क्रमवर्ती कर कालावधियों तक विवरणी" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "किसी वित्तीय वर्ष के लिए, विवरणी के दिये जाने की नियत तारीख से तीन मास के पश्चात् तक उक्त विवरणी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति **"**लगातार छह मास की कालावधि तक**"** के स्थान पर अभिव्यक्ति **"**ऐसी निरंतर कर कालावधि**,** जो विहित की जाये**,** तक**"** प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 34 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति **"**सितंबर मास**"** के स्थान पर अभिव्यक्ति **"**तीस नवंबर**"** प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 37 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 37 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "इलेक्ट्रानिक रूप में" के पश्चात् एवं विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे प्ररूप में" से पूर्व अभिव्यक्ति **"**ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए और**"** अंत:स्थापित की जायेगी**;**

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति **"**उक्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे" के स्थान पर**,** अभिव्यक्ति "उक्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे**"** प्रतिस्थापित की जायेगी**;**

(ग) विद्यमान प्रथम परन्तुक हटाया जायेगा;

(घ) द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति **"**परन्तु यह और कि**"** के स्थान पर अभिव्यक्ति "परन्तु" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ङ) तृतीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति **"**परन्तु यह और भी कि**"** के स्थान पर, अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी;

(iii) उप-धारा (3) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बिना मिलान के रह गये हैं" को हटाया जायेगा; और

(ख) प्रथम परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "सितंबर मास के लिये धारा 39 के अधीन विवरणी देने" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदाय के ब्यौरे किसी कर कालावधि के लिए देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर कालावधियों के लिए जावक प्रदाय के ब्यौरे नहीं दिये गये हैं:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर कालावधियों के लिए जावक प्रदायों के ब्यौरे नहीं दिये हैं।"।

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"38. आवक प्रदाय और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना.- (1) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन दिये गये जावक प्रदायों और ऐसे अन्य प्रदायों, जो विहित किये जायें, के ब्यौरे और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए स्वत:जनित विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, ऐसे प्रदायों के प्राप्तिकर्ताओं को इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध करवाया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन स्वत:जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(क) आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तिकर्ता को उपलब्ध हो सके; और

(ख) प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन दिये जाने वाले उक्त प्रदायों के ब्यौरों के मद्धे, प्राप्तिकर्ता द्वारा या तो पूर्णत: या भागत: ऐसे प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जा सके,-

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर जो विहित की जाये; या

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी कालावधि के लिए, जो विहित की जाये, जारी रहा है; या

(iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी कालावधि के दौरान, जो विहित की जाये, उक्त उप-धारा के अधीन उसके द्वारा दिये गये जावक प्रदाय के विवरण के अनुसार, उक्त कालावधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर ऐसी सीमा, जो विहित की जाये, से अधिक है; या

(iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी कालावधि के दौरान, जो विहित की जाये, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग किया है, जो उस प्रत्यय से जिसका उसके द्वारा खण्ड (क) के अनुसार उपभोग किया जा सकता है, से ऐसी सीमा, जो विहित की जाये, से अधिक है; या

(v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, धारा 49 की उप-धारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या

(vi) व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किया जाये।"।

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

(i) उप-धारा (5) में विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस दिवसों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तेरह दिवसों" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (7) में विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन विवरणी देता है,-

(i) माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक प्रदायों, उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए देय कर के समतुल्य रकम; या

(ii) खण्ड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, अवधारित रकम,

का सरकार को ऐसे प्ररूप में और रीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किये जायें, संदाय करेगा:";

(iii) उप-धारा (9) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, यदि" के स्थान पर शब्द "जहां" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सितंबर मास के लिए, या दूसरी तिमाही के लिए, विवरणी देने की नियत तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-धारा (10) में विद्यमान अभिव्यक्ति "विवरणी नहीं दी गयी है।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"या उक्त कर कालावधि के लिए धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे नहीं दिये गये हैं:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या

रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर कालावधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर कालावधि के लिए धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदाय के ब्यौरे नहीं दिये हों।"।

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 41 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**41. इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग.-** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, अपनी विवरणी में स्वत:निर्धारित पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जायेगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदाय के संबंध में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) के अधीन उपभोग किये गये इनपुट कर का प्रत्यय, जिस पर संदेय कर, प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त नहीं किया गया है, उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, लागू ब्याज के साथ लौटाया जायेगा:

परन्तु जहां ऐसा प्रदायकर्ता पूर्वोक्त प्रदाय के संबंध में संदेय कर का संदाय करता है वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा लौटायी गई प्रत्यय की रकम का ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, पुन: उपभोग कर सकेगा।"।

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 42, 43 और 43क का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 42, 43 और 43क को हटाया जायेगा।

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 47 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "या आवक" को हटाया जायेगा;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "या धारा 38" को हटाया जायेगा; और

(iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 39 या धारा 45" के पश्चात् तथा विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन के ब्यौरे नियत तारीख तक" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 52" अंत:स्थापित की जायेगी।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 48 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 38 के अधीन आवक प्रदायों के ब्यौरे" हटायी जायेगी।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

(i) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या धारा 43क" को हटाया जायेगा;

(ii) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसी शर्तों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अध्यधीन रहते हुए" के पूर्व अभिव्यक्ति "और निर्बंधनों" अंत:स्थापित की जायेगी; और

(iii) विद्यमान उप-धारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, आउटपुट कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, इलेक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से निर्वहन किया जा सके।"।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 50 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 50 में विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत रूप से उपभोग और उपयोग कर लिया गया है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, गलत रूप से उपभोग और उपयोग किये गये ऐसे इनपुट कर प्रत्यय पर, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा, यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर जो अधिसूचित की जाये पर ब्याज का संदाय करेगा, और ब्याज की गणना ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, की जायेगी।"।

14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 52 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (6) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित की जाएगी।

15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

(i) उप-धारा (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "छह मास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो वर्ष" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(iii) उप-धारा (10) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (3) के अधीन" हटायी जाएगी; और

(iv) उप-धारा (14) के पश्चात् के स्पष्टीकरण के खण्ड (2) में विद्यमान उपखण्ड (ख) के पश्चात् तथा विद्यमान उपखण्ड (ग) के पूर्व, निम्नलिखित नया उपखण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों के प्रदाय की दशा में, जहां, उन्हें ऐसे प्रदाय या यथास्थिति, ऐसे प्रदायों में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, वहां ऐसे प्रदायों के संबंध में धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख;"।

16. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन.- (1) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-

IV-163 दिनांक 23 जनवरी, 2018 संशोधित हो जायेगी और प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से, उस अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को और से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित समझी जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट उस अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जायेगा मानो कि राज्य सरकार को एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से, समस्त तात्विक समयों पर संशोधित करने की शक्ति थी।

17. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उप-धाराओं (1) और (3), धारा 54 की उप-धारा (12) और धारा 56 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उप-धाराओं (1) और (3), धारा 54 की उप-धारा (12) और धारा 56 के अधीन, परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा जारी, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-39 दिनांक 29 जून, 2017 संशोधित हो जायेगी और द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से, उस अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को और से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित समझी जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जायेगा मानो कि राज्य सरकार को राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उप-धाराओं (1) और (3), धारा 54 की उप-धारा (12) और धारा 56 के अधीन, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से समस्त तात्विक समयों पर संशोधित करने की शक्ति थी।

18. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी प्रभाव से छूट.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29 जून, 2017 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर और 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिवस सहित) को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान, मत्स्य तेल को छोड़कर, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाले) के उत्पादन के दौरान उत्पन्न अनाशयित अपशिष्ट के प्रदाय के संबंध में, कोई राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे समस्त राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिनका संग्रहण कर लिया गया है, किन्तु, यदि उप-धारा (1) समस्त तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती तो उनका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता।

19. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव.- (1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राजस्थान माल

और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-72 दिनांक 30 सितंबर, 2019 समस्त प्रयोजनों के लिए 1 जुलाई, 2017 को और से तथा सदैव से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(2) ऐसे समस्त राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिनका संग्रहण कर लिया गया है, किन्तु यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना समस्त तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती तो उनका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता।

प्रथम अनुसूची

[धारा 16 (1) देखें]

अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-163 दिनांक 23 जनवरी, 2018	उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, "विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना और परिनिर्धारण और अधिसूचना संख्या एफ.12(46)वित्त/कर/ 2017-पार्ट-V-104 तारीख 20 दिसंबर, 2019 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन उपबंधित समस्त कृत्य।"।	22 जून, 2017

द्वितीय अनुसूची

[धारा 17 (1) देखें]

अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-39 तारीख 29 जून, 2017	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तंभ (3) में, अंक "24" के स्थान पर, अंक "18" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।	1 जुलाई, 2017

प्रवीर भटनागर,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 30, 2022

No. F. 2(26)Vidhi/2/2022.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Maal aur Seva Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (2022 Ka Adhiniyam Sankhyank 11):-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2022
(Act No. 11 of 2022)

(Received the assent of the Governor on the 29th day of September, 2022)

An
Act

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2022.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 16 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to the principal Act,-

(i) in sub-section (2),-

(a) after the existing clause (b) and its Explanation and before the existing clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;"; and

(b) in clause (c), the existing expression "or section 43A" shall be deleted; and

(ii) in sub-section (4), for the existing expression "due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September", the expression "thirtieth day of November" shall be substituted.

3. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 29 of the principal Act,-

(i) in clause (b), for the existing expression "returns for three consecutive tax periods", the expression "the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return" shall be substituted; and

(ii) in clause (c), for the existing expression "a continuous period of six months", the expression "such continuous tax period as may be prescribed" shall be substituted.

4. Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 34 of the principal Act, in sub-section (2), for the existing expression "September", the expression "the thirtieth day of November" shall be substituted.

5. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 37 of the Principal Act,-

(i) in sub-section (1),–

(a) after the existing expression "shall furnish, electronically," and before the existing expression "in such form", the expression "subject to such conditions and restrictions and"shall be inserted;

(b) for the existing expression "shall be communicated to the recipient of the said supplies with in such time and in such manner as may be prescribed", the expression "shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies" shall be substituted;

(c) the existing first proviso shall be deleted;

(d) in the second proviso, for the existing expression "Provided further that", the expression "Provided that" shall be substituted;

(e) in the third proviso, for existing expression "Provided also that", the expression "Provided further that" shall be substituted;

(ii) the existing sub-section (2) shall be deleted;

(iii) in sub-section (3),-

(a) the existing expression "and which have remained unmatched under section 42 or section 43" shall be deleted; and

(b) in first proviso, for existing expression "furnishing of the return under section 39 for the month of September", the expression "the thirtieth day of November" shall be substituted; and

(iv) after sub-section (3) so amended, the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods.".

6. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing section 38 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**38. Communication of details of inward supplies and input tax credit.-** (1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

(2) The auto-generated statement under sub-section (l) shall consist of -

(a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and

(b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,-

(i) by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed; or

(ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or

(iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or

(iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that

can be availed by him in accordance with clause (a), by such limit as may be prescribed; or

(v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or

(vi) by such other class of persons as may be prescribed.".

7. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 39 of the principal Act,-

(i) in sub-section (5), for the existing expression "twenty days", the expression "thirteen days" shall be substituted;

(ii) in sub-section (7), for the existing first proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,-

(i) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or

(ii) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.";

(iii) in sub-section (9),-

(a) for the existing expression "Subject to the provisions of sections 37 and 38, if", the word "Where" shall be substituted;

(b) in proviso, for the existing expression "the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter", the expression "the thirtieth day of November" shall be substituted;

(iv) in sub-section (10), for the existing expression "has not been furnished by him.", the following shall be substituted, namely:-

"or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period.".

8. Amendment of section 41, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing section 41 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"41. Availment of input tax credit.- (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.

(2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed.".

9. Deletion of sections 42, 43 and 43A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing sections 42, 43 and 43A of the principal Act shall be deleted.

10. Amendment of section 47, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 47 of the principal Act,-

(i) the existing expression "or inward" shall be deleted;

(ii) the existing expression "or section 38" shall be deleted; and

(iii) after the existing expression "section 39 or section 45" and before the existing expression "by the due date", the expression "or section 52" shall be inserted.

11. Amendment of section 48, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 48 of the principal Act, the existing expression ",the details of inward supplies under section 38" shall be deleted.

12. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 49 of the principal Act,-

(i) in sub-section (2), the existing expression "or section 43A" shall be deleted;

(ii) in sub-section (4), after the existing expression "subject to such conditions" and before the existing expression "and within such time", the expression "and restrictions" shall be inserted; and

(iii) after the existing sub-section (11), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed. ".

13. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing sub-section (3) of section 50 of the principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed to have substituted with effect from the 1st day of July 2017, namely :-

"(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilized, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilized, at such rate not exceeding twenty-four per cent, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed".

14. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In proviso to sub-section (6) of section 52 of the principal Act, for the existing expression "due date for furnishing of statement for the month of September", the expression "thirtieth day of November" shall be substituted.

15. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 54 of the principal Act,-

(i) in proviso to sub-section (1), for the existing expression "the return furnished under section 39 in such", the expression "such form and" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the existing expression "six months", the expression "two years" shall be substituted;

(iii) in sub-section (10), the existing expression "under sub-section (3)" shall be deleted; and

(iv) after the existing sub-clause (b) and before the existing sub-clause (c) of clause (2) of Explanation after sub-section (14), the following new sub-clause shall be inserted, namely:-

> "(ba) in case of zero rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;".

16. Amendment of notification issued under section 146 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act read with section 20 of Integrated Goods and Services Tax Act, retrospectively.- (1) The notification of the Government of Rajasthan Department of Finance, No.F.12(46)FD/Tax/2017-Pt.-IV-163 dated the 23rd January, 2018, issued by the State Government on the recommendations of the Council, under section 146 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the First Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(2) For the purpose of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under section 146 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, retrospectively, at all material times.

17. Amendment of notification issued under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, retrospectively.- (1) The notification of the Government of Rajasthan, Department of Finance,No.F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-39 dated the 29th June, 2017, issued by the State Government on the recommendations of the Council, under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the Second Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(2) For the purpose of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, retrospectively, at all material times.

18. Retrospective exemption from, or levy or collection of State Tax in certain cases.- (l) Notwithstanding anything contained in the notification of the Government of Rajasthan, Department of Finance,No.F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-40 dated the 29th June, 2017 issued by the State Government on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (l) of section 9 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, no State tax shall be levied or collected in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301), except for fish oil, during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive).

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

19. Retrospective effect to notification issued under sub-section (2) of section 7 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act.- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the notification of the Government of Rajasthan, Department of Finance, No. F.12(46)FD/Tax/2017-Pt-IV-72 dated the 30th September, 2019 issued by the State Government, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 7 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, shall be deemed to have, and always to have, for all purposes, come into force on and from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all such State tax which has been collected, but which would not have been so collected, had the notification referred to in sub-section (1) been in force at all material times.

THE FIRST SCHEDULE

[*See* section 16 (1)]

Notification number and date	Amendment	Date of effect of amendment
(1)	(2)	(3)
F.12(46)FD/Tax/2017 -Pt.-IV-163 dated the 23rd January, 2018	In the said notification, in paragraph 1,for the words "furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax", the following shall be substituted, namely:– "furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and save as otherwise provided in the notification number F.12(46)FD/Tax/2017-Pt-V-104, dated the 20th December, 2019, all functions provided under the Rajasthan Goods and Services Tax Rules,2017.".	22nd June, 2017.

THE SECOND SCHEDULE

[*See* section17(1)]

Notification number and date	Amendment	Date of effect of amendment
(1)	(2)	(3)
F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-39 dated the 29th June, 2017	In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (3),for the figure "24", the figure "18"shall be substituted.	1st July, 2017.

प्रवीर भटनागर,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।